राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

कमांकः एफ 7(4)ग्रावि/नरेगा/एसई/परिसर वृक्षा./2014/RK-00994 जयपुर दिनांकः 26 JUN 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– 15 जुलाई, 2020 को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत "वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव" के आयोजन बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में आगामी मानसून में पर्यावरण संरक्षण के साथ–2 आस–पास के माहौल को हराभरा, खुशनुमा एवं सुन्दर बनाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सघन वृक्षारोपण करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता देने हेतु माह जुलाई, 2020 में योजनान्तर्गत "वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव" का आयोजन किया जावे। वार्षिकोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत की उपयुक्त गोचर भूमि अथवा राजकीय भूमि/कार्यालय/विद्यालय भूमि जिस पर चार दीवारी अथवा पौधों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था हो, पर किया जावे।

वृक्षारोपण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एक अनुमत गतिविधि है। वृक्षारोपण का कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के तहत नियमानुसार किया जावें। इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन माह जून, 2020 के अन्त तक सम्भावित है, अतः आवश्यक व्यवस्था शीघ्र कर ली जावें। वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित वृक्षारोपण कार्यो की मानसून आने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी कर ली जावे तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित अग्रिम मृदा कार्य पूर्ण कर लिया जावे। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सड़क/नहर/तालाब/नाड़ी के किनारे, राजकीय कार्यालय एवं विद्यालय परिसरों (जिनमें चारदीवारी उपलब्ध है) में सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया जावे। इस कार्य के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक छायादार एवं फलदार पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जावे एवं तकमीने में 4 वर्ष तक रखरखाव का प्रावधान किया जावे। योजनान्तर्गत पौधों की सुरक्षा हेतु क्षेत्र की आवश्यकतानुसार डिच कम बण्ड फैन्सिंग, थौर/लाइव फैन्सिंग, सूखे पत्थर की चिनाई से तैयार दीवार (पहाड़ी क्षेत्रों में) बनाई जावे।

वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के आयोजन का भरपूर प्रचार–प्रसार किया जावे। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर स्थापित विभिन्न राजकीय एवं अनुमोदित निजी नर्सरियों में क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म के पौधों की उपलब्धता का आंकलन करवाकर नियमानुसार वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जावे। वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान कोरोना (COVID-19) महामारी से बचाव के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। उत्सव में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों,

PTO

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, युवाओं एवं छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जावें। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी स्वयं भी एक या एकाधिक वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव में भाग लें।

यदि अपरिहार्य कारणवश 15 जुलाई, 2020 को किसी जिले/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव का आयोजन करना सम्भव न हो, तो इसे उक्त तिथि के पूर्व या पश्चात् भी आयोजित किया जा सकता है।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि पराविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पराविं।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
7. सहायक निदेशक, आईईसी, कार्यालय हाजा को प्रचार–प्रसार हेतु।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner